विविध **बैंक प्रकरण संख्या 50/2021**(GCMS : 2021/141) **भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–हंसराज चौक, श्रीविजयनगर,** जिला श्रीगंगानगर – प्रो. श्रवण कुमार गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, आरएसीसी, शाखा, हंसराज चौक, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) **बनाम 1. मैसर्स चंद्र मोहन विनोद कुमार** प्रो. विनोद कुमार पुत्र डूंगर माल, दुकान नं. 74 नई धान मंडी, श्रीविजयनगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फार्म नं. 03 के साथ दस्तावेज पेश किये, शामिल मिसल किये गये। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 06.09.2021 को प्रस्तुत किया। कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स चंद्र मोहन विनोद कुमार –प्रो. विनोद कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 47.65/–लाख रूपये (अखरे रूपये सैंतालिस लाख पैंसठ हजार मात्र) खाता संख्या 61318420193 में राशि 40,00,000/–का ऋण दिनांक 30.01.2020 में एवं खाता संख्या 39505166908 में राशि 7,65,000/–का ऋण दिनांक 16.07.2020 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मै. चन्द्र मोहन विनोद कुमार प्रो. विनोद कुमार द्वारा दृष्टि बंधक रखे गये स्टॉक व व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 74 (क्षेत्रफल दुकान व गोदाम 25'गुणा 80' + प्लेटफार्म 25'गुणा 50'), नई धान मंडी श्रीविजयनगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण की भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उसके ऋण खाते दिनांक 30.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिये गये है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 28.02.2022 को 50,11,776/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थी** मै. चन्द्र मोहन विनोद कुमार–प्रो. विनोद कुमार **को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 29.04..2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का** रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 07.05.2021 को भिजवाया गया है जो अप्रार्थी ऋणी को पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार प्राप्त हो गया हैं। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी मै. चन्द्र मोहन विनोद कुमार–प्रो. विनोद कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखे गये अपने स्टॉक व व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 74 (क्षेत्रफल दुकान व गोदाम 25'गुणा 80' + प्लेटफार्म 25'गुणा 50'), नई धान मंडी श्रीविजयनगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मैसर्स चन्द्र मोहन विनोद कुमार – प्रो. विनोद कुमार** को ऋण राशि 47.65/– लाख रूपये (अखरे रूपये सैंतालिस लाख पैंसठ हजार मात्र) खाता संख्या 61318420193 में राशि 40,00,000/– का ऋण दिनांक 30.01.2020 एवं खाता संख्या 39505166908 में राशि 7,65,000/– का ऋण दिनांक 16.07.2020 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी द्वारा दृष्टि बंधक रखे गये स्टॉक व व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 74 (क्षेत्रफल दुकान व गोदाम 25' गुणा 80' + प्लेटफार्म 25' गुणा 50'), नई धान मंडी श्रीविजयनगर प्रार्थी बैंक के पास रखा गया। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 30.03.2021 **को अनुत्पादक सम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 29.04.2021 को जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

किये गये है। जो कि अप्रार्थी **मैसर्स चन्द्र मोहन विनोद कुमार–प्रो. विनोद कुमार** को धारा 13(2) के नोटिस पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 07.05.2021 को भिजवाया गया है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी द्वारा दृष्टि बंधक रखे गये स्टॉक व व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 74 (क्षेत्रफल दुकान व गोदाम 25'गुणा 80' + प्लेटफार्म 25'गुणा 50'), नई धान मंडी श्रीविजयनगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 29.04.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 29.04.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी के नाम से जारी किया गया है। अप्रार्थी **मैसर्स चन्द्र मोहन विनोद कुमार – प्रो. विनोद कुमार** को धारा 13(2) का नोटिस [illegible] 07.05.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में [illegible] को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑ[illegible] की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13([illegible]) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

अप्रार्थी को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मैसर्स चन्द्र मोहन विनोद कुमार–प्रो. विनोद कुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2021 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी मैसर्स चन्द्र मोहन विनोद कुमार – प्रो. विनोद कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में दृष्टि बंधक रखे गये स्टॉक व व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 74 (क्षेत्रफल दुकान व गोदाम 25'गुणा 80' + प्लेटफार्म 25'गुणा 50'), नई धान मंडी श्रीविजयनगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:45 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर